उत्तर प्रदेष सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0, प्रधान कार्यालय, लखनऊ

पत्रांक : 49235 / बजट एवं वे0नि0 / 2017–18 दिनांक : 28.12.17

समस्त प्रभारी / प्रबन्धक श्रेणी–1,2
उ0प्र0 सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0,
उत्तर प्रदेश।

विषय : आवंटित बजट सीमा से अधिक व्यय न करने एवं आवंटित बजट को मितव्ययता के आधार पर व्यय करने सम्बन्धी।

कृपया उपरोक्त विषयक बैंक परिपत्र सं0 49070 / बजट एवं वे0नि0 / 17–18 दिनांक 05.05.17 का सन्दर्भ लें, जिसके द्वारा वर्ष 2017–18 हेतु मदवार बजट का आवंटन करते हुये यह निर्देशित किया गया था कि निर्धारित सीमा से अधिक व्यय किसी भी दशा में न किया जाय। परन्तु प्रायः ऐसा देखा गया है कि शाखा द्वारा उक्त निर्देशों का कोई ध्यान नहीं दिया जाता। बिना पूर्व स्वीकृत के आवंटित सीमा से अधिक व्यय कर दिया जाता है। व्यय करने के बाद अधिक व्यय की स्वीकृति मांगी जाती है। यह स्थिति कदापि ठीक नहीं है।

उक्त के सम्बन्ध में बैंक की वित्तीय स्थिति को ध्यान में रखते हुये निम्न बिन्दुओं का कठोरता से पालन किया जाय :–

1. किसी भी दशा में आवंटित सीमा से अधिक व्यय न किया जाय।
2. सीमा के अन्तर्गत व्यय करते समय भी बैंक हित में मितव्ययता का विशेष ध्यान रखा जाय। जहां तक सम्भव हो अतिरिक्त बजट की मांग न की जाय। पूर्व में आवंटित बजट में ही पूरे वित्तीय वर्ष 2017–18 का व्यय पूर्ण किया जाय, जिससे बैंक की वित्तीय स्थिति को देखते हुये मितव्ययिता का पालन हो सके।
3. यदि किसी मद विशेष में आवंटित सीमा से अधिक व्यय करना अपरिहार्य हो, तो मदवार अधिक का औचित्य स्पष्ट करते हुये अतिरिक्त बजट की मांग की जाय।

ह0 / –
(शैलेश आनन्द)
मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. शाखा प्रबन्धक (जनपदीय स्तर), उ0प्र0 सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0, को इस निर्देश के साथ कि ई–मेल से प्राप्त सूचना की प्रति अपने जनपद की समस्त शाखाओं को तत्काल प्राप्त कराना सुनिश्चित करें।
2. उप महाप्रबन्धक (आई.टी. सेल) को वेब साइट / ई–मेल पर अपलोड कराने हेतु।

ह0 / –
(राजेश कुमार तिवारी)
सहा0महाप्रबन्धक